International Journal of Arts, Humanities and Social Studies 2024; 6(1): 11-19

International Journal of Arts, Humanities and Social Studies

ISSN Print: 2664-8652
ISSN Online: 2664-8660
Impact Factor: RJIF 8
IJAHSS 2024; 6(1): 11-19
www.socialstudiesjournal.com
Received: 24-11-2023
Accepted: 28-12-2023

शुभा लढ्ढा
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा, राजस्थान, भारत

Corresponding Author:
शुभा लढ्ढा
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा, राजस्थान, भारत

टोंक जिले में महिला जनप्रतिनिधियों द्वारा नगरीय निकाय में किये गये कार्यों का विश्लेषण

शुभा लढ्ढा

DOI: https://doi.org/10.33545/26648652.2024.v6.i1a.82

सारांश
महिला जनप्रतिनिधि का अर्थ है समस्त वर्गों एवं स्तरों से प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी गई या नामांकित महिला जो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा आदि में पंच, सरपंच, पार्षद या जिला पंचायत प्रतिनिधि, विधायक, सांसद आदि की हैसियत से कार्य करने हेतु अधिकृत है।

महिला जनप्रतिनिधि द्वारा ही ग्रामीण विकास की बात करने के पीछे यह तर्क है कि भारत में महिलाओं की संख्या भी काफी है, अतरू इतनी बड़ी जनशक्ति के लिये उन्हें जनप्रतिनिधि बनाना आवश्यक है। महिलाओं के जनप्रतिनिधि बनने से उनकी झिझक और घबराहट दूर होगी तथा उनमें आत्मनिर्भरता का विकास होगा, साथ ही आत्मबल में वृद्धि होगी। महिलाओं के जनप्रतिनिधि बनने से राजनीतिक एवं सामाजिक वातावरण सरल होगा एवं टकराव तथा अहम तुष्टि की भावना विकसित नहीं होगी। इससे विकास कार्यों में बाधा नहीं आएगी एवं ग्रामीण विकास तेजी से हो सकेगा।

यह सत्य है कि अभी भी महिलाएँ सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ी हुई है। अतरू उनकी उन्नति हेतु उन्हें आगे लाकर उन पर जिम्मेदारी डालना आवश्यक है।

इस पहलू से विकास के तर्क पर प्रकाश डाले तो हम पाते हैं कि महिलाएँ स्वयं कई दृष्टियों से पिछड़ी एवं लज्जाशील होती हैं, अतरू विकास संबंधी जागरूकता को लेकर लोग उन्हें संशय की दृष्टि से देखते हैं। ग्रामीण विकास के लिये विकास कार्यों की योजना बनाना, कार्यस्थल का दौरा करना, भ्रष्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों से निपटना तथा विकास कार्यों की तकनीकी जानकारी रखना आदि महिलाओं हेतु उचित एवं योग्य कार्य नहीं माने जाते। राजनीति एवं विकास संबंधी कार्यों की जिम्मेदारी लेने से उनकी स्वयं की जिम्मेदारियाँ जैसे– बच्चे का पालन एवं पारिवारिक दायित्व संभालने आदि में बाधा आएगी।

देश में महिलाओं की बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद अगर उनकी भागीदारी देश के विकास में न ही तो इस जनसंख्या को उचित अवसर नहीं प्राप्त होगा। इस विशाल जनशक्ति की भागीदारी के बिना किसी भी प्रकार के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिये ग्रामीण विकास के लिये महिलाओं की भागीदारी महत्त्वपूर्ण मानी गई है।

कूटशब्द : जनसंख्या, बावजूद, पारिवारिक, विशाल जनशक्ति

प्रस्तावना

गाँव हमेशा सामाजिक व आर्थिक जीवन की महत्वपूर्ण इकाई के साथ–साथ अतीत से प्रषासन की महत्वपूर्ण संस्था रहा है। प्रस्तुत शोध में पंचायतों के इतिहास, उद्गम तथा वैदिक काल, रामायण, महाभारत, मुगल एवं बिकाल में पंचायतों के विकास पर प्रकाष डाला गया है। इसके अतिरिक्त संविधान सभा में पंचायतों के ऊपर हुई चर्चा का जिक्र करते हुए बताया गया है कि कैसे पंचायतें संविधान के नीति निर्देशों के तत्वों का हिस्सा बन सकीं। केन्द्र स्तर पर गठित विभिन्न समितियों जैसे बलवन्त राय मेहता समिति, अषोक मेहता समिति, जी.वी.के.राव समिति, एल.एम.सिंघवी समिति व थुंगन समिति की सिफारषों का उल्लेख शोध में प्रस्तुत है।

प्राचीन भारत में सामाजिक संरचना के तीन महत्वपूर्ण आधार – जाति प्रथा, संयुक्त परिवार, ग्राम पंचायतें रही है। स्वषासन की इकाई के रूप में ग्रामीण पंचायतों का यही विशेष महत्व रहा है। महात्मा गाँधी की मान्यता थी कि भारतीय ग्रामीण जीवन का पुनर्निर्माण पंचायतों की पुनः स्थापना से ही सम्भव है। ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों में शासन, प्रबन्ध, शान्ति और सुरक्षा की एक मात्र संस्था रही है। डॉ0 राधा मुकुद मुखर्जी ने ग्राम पंचायतों को प्रजातन्त्र के देवता की संज्ञा दी हैं। उन्होंने लिखा है "ये समस्त जनता की सामान्य सभा के रूप में अपने सदस्यों के समान अधिकारों,

स्वतन्त्रताओं के लिए निर्मित होती है, ताकि सब में समानता, स्वतन्त्रता तथा बन्धुत्व का विचार दृढ रहे"।

भारत में पंचायत व्यवस्था को प्रारम्भ करने का श्रेय राजा प्रिथु को है। वैदिक काल से ही यहां ग्राम को प्रशासन की मौलिक इकाई माना जाता रहा है। भारतीय ग्रामीण पंचायतों को देखकर अंग्रेजों की यह धारणा बनी कि यहाँ तो प्रत्येक ग्राम पंचायत एक स्वतन्त्र गणराज्य के रूप में है और भारतीय पंचायतों में गणतन्त्र के सभी गुण पाये जाते है। यद्यपि मेलों के द्वारा ग्रामीण पंचायतों की महानता को तो माना गया, परन्तु उनकी नीतियों के कारण धीरे–धीरे यहां सभी प्रकार के प्रशासनिक तथा न्याय सम्बन्धी अधिकारों को अंग्रेज अधिकारियों के हाथों में केन्द्रित हो जाने से ग्राम पंचायतों की शक्तियों एवं प्रभाव में कमी आयी। अंग्रेजों के शासन काल में सत्ता का केन्द्रीकरण हो गया और दिल्ली सरकार पूरे भारत पर शासन करने लगी। इसके परिणाम स्वरूप प्रशासन का परम्परागत रूप करीब–करीब समाप्त हो गया। भारत की आजादी के बाद राजनेताओं का ध्यान पंचायतों के पुनर्निर्माण और पुनः स्थापना की ओर गया। महात्मा गाँधी का कहना था कि स्वतन्त्रता का प्रारम्भ धरातल से होना चाहिए। प्रत्येक ग्राम एक छोटा गणराज्य हो जो पूर्णतया आत्म निर्भर हो। उसे किसी भी आवश्यकता को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पडे। इसी विचार को क्रियान्वित करते हुए संविधान की धारा 40 में यह व्यवस्था की गई कि "राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और उनको समस्त अधिकार प्रदान करेगा।

जिससे वे स्वायत्त शासन की इकाईयों के रूप में कार्य करने के योग्य हो जाये''। यद्यपि देश के स्वतन्त्र होने के पश्चात् यहां शासन की लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया गया और जनता को स्वयं अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिला। शासन का विकेन्द्रीकरण करने हेतु विभिन्न राज्यों में ग्राम पंचायत स्थापित की गई। 1952 में ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना प्रारम्भ की गयी।

राष्ट्रीय प्रसार सेवा शुरू करने से पहले निर्णय किया कि प्रसार सेवा की निम्नतम प्रशासनिक इकाई विकास खण्ड हो। प्रारम्भ में राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड के क्षेत्र को चुनने के लिए तीन समितियां रखी गई।

1. खण्डों की स्थिति ऐसी हो कि उन्हें एक उपमण्डल अधिकारी अथवा उप.परगनाधीश के अधीन एक सुसंगठित प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित किया जा सके।
2. खण्ड सामान्य प्रशासनिक सीमाओं का अत्यानुकरण न करें।
3. खण्डों को चुनते समय परिगणित जनजातियों तथा अन्य पिछडी जातियों के क्षेत्रों की विषिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाय।

खण्ड एवं जिला स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था

सामुदायिक विकास के प्रषासनिक उत्तरदायित्व नियमित नौकरशाही को ही सौंपा गया था। किन्तु विद्यमान संगठनात्मक ढांचे में हेरफेर कर दिया गया था। हेर फेर करने में ध्यान इस बात का रखा गया था कि ग्रामीण पुनर्निर्माण के एकीकृत कार्यक्रम पर जो बल दिया गया था। वह उसमें प्रतिबिम्वित हो सके और कार्यनीति को समुचित महत्व दिया जा सके। ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता जो अब ग्राम सेवक कहलाता है। सामुदायिक विकास की प्रशासनिक श्रृंखला की अन्तिम कडी थी।

इसलिए उसे पॉच से दस गाँव की देखभाल करने वाले बहुउद्देशीय कार्यकर्ता के रूप में परिकल्पित किया गया था। एक खण्ड के अर्न्तगत लगभग 300 गाँव आते थे। उसका प्रमुख एक खण्ड विकास अधिकारी होता था। जिला स्तर पर जिलाधीश होता था।

राज्य स्तर पर व्यवस्था

राज्य स्तर पर एक विकास समिति बनाई गई, जिसमें मुख्यमंत्री तथा विकास विभाग सम्बन्धी मंत्री रखे गये। विकास आयुक्त समिति का सचिव बनाया गया था। सचिव का कार्य विकास विभागों के बीच सामन्जस्य करना था।

केन्द्र स्तर पर व्यवस्था

केन्द्र में एक केन्द्रीय समिति स्थापित की गई थी। इसमें योजना आयोग के सदस्य रखे गये थे। समिति का कार्य नीतियां निर्धारित करना तथा सामुदायिक परियोजनाओं का प्रशासक एक नया अधिकारी था। उसका कार्य सम्पूर्ण भारत में सामुदायिक परियोजनाओं का आयोजन, निर्देशन तथा समन्वय करना था और वह केन्द्रीय समिति के सामान्य परिवीक्षण के अन्तर्गत काम करता था। इसके सहयोग के लिए अनेक कर्मचारी वर्गों को उसके अधीन रखा गया था। किन्तु सामुदायिक विकास कार्यक्रम पूर्णतः नौकरशाही के विशेष कर राजस्व तथा प्रशासनिक सेवाओं में से चुने हुए व्यक्तियों के हाथों में रहा था।

स्वतन्त्रता के बाद राजस्थान में पंचायतें

भारतीय शासन अधिनियिम 1935 के तहत 1937 में प्रान्तों में लोकप्रिय मंत्रिमण्डलों का निर्माण हुआ और उन्होंने स्थानीय संस्थाओं को जनता का वास्तविक प्रतिनिधि बनने के लिए कुछ कानून बनाये। किन्तु दुर्भाग्यवश 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारम्भ होने से स्थानीय संस्थाओं के प्रति मंत्रियों का उत्साह ठंडा पड गया। स्थानीय शासन के इतिहास में यह (1939–1946) अवधि अन्धकार युग माना जाता है।

मार्च 1948 मत्स्य संघ की स्थापना के एक सप्ताह बाद हुई। राजस्थान संघ में बांसवाडा, बून्दी, टोंक, डूंगरपुर, झालावाड़, शाहपुरा, किशनगढ, प्रतापगढ व कोटा रियासतें शामिल हुई। इसकी राजधानी कोटा थी। तीसरे चरण में 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान की स्थापना हुई। इस संघ में उत्तर पूर्वी राज्य शामिल हुए। चौथे चरण में राजस्थान का निर्माण 30 मार्च 1949 को किया, इसकी राजधानी जयपुर थी। माणिक्य लाल वर्मा के नेतृत्व में 1948 में संयुक्त राजस्थान सरकार द्वारा पंचायती राज अध्यादेश पारित किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की 2 अक्टूबर 1952 को शुरूआत की गई। जिसका उद्देश्य विकास कार्यो में जन सहभागिता के लिए किया गया

उपलब्ध साहित्य का अवलोकन एवं समीक्षा

किसी भी शोधकर्ता को अपनी शोध समस्या के चयन प्राकल्पना निर्माण तथा अध्ययन को तैयार करने के लिए कई प्रकार के आधारों की आवश्यकता होती है। जो कि पुस्तकें अनेक ज्ञानकोश, पत्र–पत्रिकाओं, अभिलेखों तथा पहले से किए गए शोध परिणामों से प्राप्त होता है। इसके साथ–साथ शोधकर्ता को संदर्भ के साहित्य सर्वेक्षण की आवश्यकता होती है। अतः प्रस्तुत अध्ययन से संबंधित साहित्य सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है। जिनको शोधार्थी ने तीन वर्गों में विभाजित किया है –

1) महिला सशक्तिगण में राजनैतिक भागीदारी
2) स्थानीय स्वशासन व्यवस्था में महिलाएं
3) महिलाओं की राजनीति में सहभागिता

- नीरा देसाई ने अपनी पुस्तक ''भारतीय समाज में नारी (1982)'' में इन्होंने प्राचीन काल से वर्तमान तक भारतीय समाज में नारी की स्थिति व भूमिका का वर्णन किया है। इन्होंने अंग्रेजी काल तक भारतीय समाज में नारी की स्थिति को बताया है। साथ ही भारत के राष्ट्रीय संघर्ष का भारतीय स्त्री पर प्रभाव और समाज में व्याप्त कुरीतियों और उनके सुधार के लिए किए गए कार्यों का वर्णन किया है। पुस्तक में भारतीय संविधान में महिलाओं को दिए गए राजनीतिक अधिकारों का भी वर्णन किया गया है।
- भारत डोगरा ने अपनी पुस्तक ''पंचायती राज और महिलाएँ (1 जनवरी 2013)'' में बताया है कि पंचायती राज व्यवस्था

में महिला आरक्षण के परिणामस्वरूप अब महिलाओं की मनःस्थिति बदल रही है। वे अपना पक्ष पूरी निर्भिकता तथा निष्पक्षता से बैठकों में रखने लगी है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी से उन्हें वो नया परिवेश मिल रहा है वह उनके लिए प्रगति और विकास के नए द्वार तो खोल ही रहा है। साथ ही पुरुष तथा स्त्री के बीच समाज में जो सामाजिक विषमता है, उसमें भी कमी आ रही है।

- डॉ. उर्मिला प्रकाश मिश्र ने अपनी पुस्तक ''प्राचीन भारत में नारी (2012)'' में नारी के विविध रूपों तथा वर्ग भिन्नता के आधार पर जीवन के आदर्शों व स्थितियों में भी भिन्नता थी। वर्गीकरण के आधार पर पूर्व और मध्यकालीन भारत की नारी के संबंध में विवेचना की गई है। उसके सामाजिक, आर्थिक एवं न्यायिक परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।
- प्रमोद कुमार अग्रवाल ने अपनी पुस्तक ''भारत में पचांयती राज (1 जनवरी 2018)'' में देश में पंचायतों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, पंचायती राज की संवैधानिक स्थिति, पंचायतों के कार्यों, पचांयतों के वित्तीय स्थिति आदि के संबंध में बताया है। साथ ही पंचायतों का राजनीतिक नेतृत्व की पौधशाला कहा है।
- डॉ. पूरणमल ने अपनी पुस्तक ''नवीन पंचायती राज एवं महिला नेतृत्व (2009)'' में बताया गया है कि पंचायती राज के अर्थ, स्वरूप, विकास यात्रा एवं वर्तमान स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। पंचायती राज के नवीन स्वरूप को सम्मिलित करते हुए पंचायतों में महिलाओं के नेतृत्व, उनकी भूमिका तथा उनकी राजनीतिक जागरूकता और राजनीति में उनकी बढ़ती अभिरूचि को भी विश्लेषण किया गया है।
- हरिमोहन धावन और अरुण कुमार ने अपनी पुस्तक ''महिला आरक्षण एवं भारतीय समाज (1 जनवरी 2011)'' में बताया है कि केवल आरक्षण देने से उनके सभी अधिकार सुरक्षित नहीं हो सकते महिलाओं की इस बढ़ती राजनीति में सहभागिता के कारण मिलने वाला राजनीतिक प्रतिशत एवं अनुभव उनके सशक्तीकरण का मार्ग प्रशस्त करता है इसके कारण महिलाओं में पारिवारिक स्तर पर भी निर्णयकारिता को प्रभावित करने का आत्मविश्वास बढ़ेगा।

राजस्थान में पंचायत राज

राजस्थान के विभिन्न राज्यों में कार्यरत पंचायत राज अधिनियम

बीकानेर : 1928
बांसवाडा : 1928
जयुपर : 1938
किशनगढ : 1938
करौली : 1939
बूंदी : 1939
प्रतापगढ : 1939
शाहपुरा : 1939
टोंक : 1939
मेवाड : 1940
भरतपुर : 1944
मारवाड : 1945
सिरोही : 1947
कोटा : 1948
कशलगढ : 1948
डूंगरपुर : 1948

जयपुर पंचायती राज सम्मेलन 1984

पंचायत व्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री श्री षिवचरण माथुर ने पंचायती राज के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अक्टूबर 1984 में जयपुर सम्मेलन बुलाकर पंचायती राज की जयंती मनाई गई। उसके समापन समारोह में प्रधानमंत्री इन्दिरा गाँधी को बुलाया गया था। सम्मेलन में की गई घोषणाऐं–

1. उच्च प्राथमिक शिक्षा जिला परिषद् को हस्तांतरित कर दी जाये।
2. प्रौढ शिक्षा पंचायत समितियों को हस्तांतरित कर दी जाये।
3. पंचायत समिति एवं जिला परिषदों के भवन पूर्ण कराये जावें।
4. पंचायत समितियों को उनके कर्मचारियों के लिए चिकित्सा व्यय हेतु 1 करोड रूपये की राशि स्वीकृत की जाये।
5. विकास कार्य के लिए पंचायतों द्वारा चुंगीकर या अन्य कर लगाये तो उनको प्रतिशत राज्य द्वारा भी अनुदान दिया जायें।
6. ग्रामीण रोजगार के लिए 25 हजार तक की लागत के कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति जिला परिषद् को दिये जाये। जिला परिषद् द्वारा ही कुशल तकनीकी नियंत्रण के लिए आवश्यक तकनीकी स्टाफ उपलब्ध कराया जायें।

सम्मेलन के दौरान 1984 में जयपुर में पंचायती राज संस्थान की स्थापना की गई थी। इसी के माध्यम से आने वाले समय में पंचायती राज का निर्देशन एवं संचालन होना था। राजस्थान सरकार ने सम्मेलन के पश्चात् पंचायती राज संस्थाओं को काफी अधिकार हस्तान्तरित किये एवं चुनाव भी कराने का प्रयास किया, जिससे जन सहभागिता बढे तथा ग्रामीण क्षेत्र का भी विकास हो सके। लेकिन पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा नहीं मिलने के कारण ये संस्थाएं सक्रिय नहीं हो पाई थी।

73 वां संविधाान संषोधन अधिनियम

पंचायती राज केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा निर्मित एक ऐसी षासकीय इकाई होती है, जिसमें जिला, नगर या ग्राम जैसे एक क्षेत्र की जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और जो अपने–अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर प्रदत्त अधिकारों का उपयोग लोक कल्याण के लिए करते हैं। हैराल्ड जे. लास्की ने कहा है कि "हम लोकतंत्रीय षासन से पूरा लाभ उस समय तक नही उठा सकते जब तक कि हम यह न मान लें कि सभी समस्याएं केन्द्रीय समस्याऐं नहीं है और उन समस्याओं को उन्हीं स्थानों पर उन्हीं लोगों द्वारा हल किया जाना चाहिए जो उन समस्याओं से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं"। डी.टाकविले ने भी स्थानीय स्वषासन के सन्दर्भ में लिखा है "स्वतंत्र राष्ट्रों की शक्ति स्थानीय संस्थायें होती है। एक राष्ट्र स्वतंत्र शासन की स्थापना कर सकता है किन्तु स्थानीय संस्थाओं के बिना स्वतंत्रता की भावना नहीं रह सकती है"। महात्मा गाँधी के अनुसार "प्रत्येक गॉव को आत्म निर्भर होना चाहिए और अपनी आवष्यकताओं को स्वयं पूर्ण करना होगा ताकि वह सम्पूर्ण प्रबन्ध स्वयं चला सकें"। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नहेरू ने कहा था "पंचायत सरकारी इमारत की नींव हैं। यदि यह नींव मजबूत नहीं होगी तो उस पर खडी इमारत कमजोर होगी"। भारत जैसे देष में जहां 75 प्रतिषत से अधिक जनता गामीण क्षेत्रों में रहती है। वहां पंचायत राज के नाम से प्रसिद्ध ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का महत्व स्वतः सिद्ध एवं सर्वथा असंदिग्ध है। भारत का अति विस्तृत ग्रामीण परिवेश अपूरित भूभाग कल्याणकारी सरकार के अति विस्तृत कार्य एवं दायित्व स्थानीय शासन के प्रति प्रतिबद्धता एवं कटिबद्धता आदि के महत्वपूर्ण पहलू हैं। जो पंचायत राज को एक अति महत्वपूर्ण संस्था के रूप में प्रतिस्थापित करते हैं। पंचायत राज संस्थाऐं राजनीतिक वैद्धता की प्रक्रिया में मौलिक भूमिका निभाती है तथा लोगों में भागीदारी एवं सहयोग की भावना विकसित करने के अवसर प्रदान करती है।पी.वी. नरसिंहराव सरकार ने राजीव गाधी सरकार द्वारा तैयार पंचायती राज संस्थाओं से सम्बन्धित विधेयक में कुछ संशोधन कर 16

दिसम्बर 1991 की 72 वां संविधान संषोधन विधेयक के रूप में लोकसभा में पेष किया। विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को सौंपा गया। नाथूराम मिर्धा की अध्यक्षता में गठित इस समिति में विविध राज्यों एवं दलों के प्रतिनिधि थे। समिति ने व्यवहारिकता की दृष्टि से विधेयक के प्रावधानों का अध्ययन करके
अपना प्रतिवेदन संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त समिति ने अपनी सहमति जुलाई, 1992 में दी तथा विधेयक के क्रमांक को परिवर्तित कर 73वां संविधान संशोधन कर दिया। जिसे 22 दिसम्बर 1992 को लोकसभा ने तथा 23 दिसम्बर 1992 को राज्य सभा ने पारित कर दिया। इसे 17 राज्यों की विधान सभाओं द्वारा अनुमोदित किये जाने पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया। राष्ट्रपति द्वारा 20 अप्रैल 1993 को इस विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान की गई तथा इसे 25 अप्रैल 1993 से लागू किया गया। इस सशोधन द्वारा संविधान के पूर्ववर्ती भाग "8" के पश्चात् "9" जोडा गया है जिसका शीर्षक "पंचायत" है।इसके द्वारा अनुच्छेद 243 में पंचायतों से सम्बन्धित प्रावधान किये गये हैं, जिसमें 15 उप अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है।
संविधान के भाग "9" में पंचायत शीर्षक से जोडा गया तथा अनुच्छेद 243 जोडते हुए पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। अनुच्छेद 243 (ए) के अनुसार ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उसी प्रकार उत्तरदायी होगी जैसे कि राज्य सरकार विधान सभा के प्रति होती है।
73 वें संविधान संषोधन अधिनियम में सभी राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में त्रि–स्तरीय संगठनात्मक संरचना का प्रावधान रखा गया है।

73वें संविधान संषोधन अधिनियम के प्रावधान

- प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अधिकारों के विकेन्द्रीयकरण की भावना के अनुरूप राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जन प्रतिनिधियों को विकास कार्यों में सहभागिता तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रषासनिक शक्तियां एवं आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराकर सुदृढ़ बनाया जा रहा है। इस हेतु राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत राजस्थान पंचायती राज नियम 1996, 30 दिसम्बर 1996 से विधिवत लागू किये गये है।
- ग्रामीण विकास सम्बन्धी कार्यों को पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वित करने हेतु न्यायिक, वित्तीय और प्रषासनिक ढांचे में फेर बदल लाया जा रहा है। इस क्रम में जहां एक स्तर पर विषिष्ट योजना एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को एकीकृत किया जा रहा है। वहीं दूसरे स्तर पर डीआरडीए का पूरा प्रबन्ध जिला परिषदों को सौपने की दिषा में पहला कदम उठाते हुए जिला प्रमुख को डीआरडीए का अध्यक्ष बनाया गया है तथा डीआरडीए के मार्फत करवाई जाने वाली कई योजनाओं के क्रियान्वयन का भार भी जिला परिषदों को सौंपा जा रहा है।
- राज्य के सभी जिलों में आयोजना समितियों का गठन किया जा चुका है। जो जिले में नव निर्माण कार्यों विभागों में समन्वय, ग्रामीण स्वास्थ्य विकास, पर्यावरण व्यवस्था एवं उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग कर विभाग का कार्य संचालित करेगी। विकास कार्यों में ग्राम सभाओं की भागीदारी बढाने की दृष्टि से सरकार ने जन सामान्य को विकास कार्यो में व्यय विवरण के निरीक्षण का अधिकार दिया है।
- राज्य वित्त आयोग के अवार्ड के तहत पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढीकरण हेतु वर्ष 1998–99 में 5950.20 लाख रूपये का वित्तीय प्रावधान था। जिसके अन्तर्गत सामान्य रख–रखाव प्रोत्साहन, संस्थापन व मैंचिग अनुदान दिये गये। दसवें वित्त आयोग के अवार्ड के तहत विकास कार्यो हेतु पंचायती राज संस्थाओं के लिए वर्ष 1998–99 में 536.00 लाख रूपये का वित्तीय प्रावधान था। इसके अन्तर्गत गांवों में रोशनी व्यवस्था, गन्दे पानी का निकास तथा उनका पौधों में उपयोग रास्तों व सडकों का निर्माण ग्रामीण स्वच्छता सम्मिलित है।

टोंक जिला एक परिचय

टोंक भारत के राजस्थान राज्य का एक जिला है। यह बनास नदी के ठीक दक्षिण में स्थित है। भूतपूर्व टोंक रियासत की राजधानी रह चुके इस शहर की स्थापना सन् 1817 में अमीर खाँ पिंडारी ने की थी। इसे राजस्थान की नवाबों की नगरी भी कहा जाता है। यह स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। 1948 में यह राजस्थान राज्य का अंग बना।

- टोंक जिले का क्षेत्रफल– 7197 वर्ग किलोमीटर
- टोंक जिले की अक्षांश स्थिति– 25 डिग्री 41 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 34 मिनट उत्तरी अक्षांश तक
- टोंक जिले की देशांतरीय स्थिति– 75 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशान्तर से 76
- डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर तक।
- टोंक जिले के उपनाम– टाटानगर, नवाबों की नगरी
- टोंक जिले का संभागीय मुख्यालय अजमेर है।
- टोंक जिले की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 14,21,326 है।
- टोंक जिले की मुख्य भाषाएँ हिन्दी, नागरचाल, चौरासी, राजस्थानी है।
- टोंक जिले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या चार है। (1) मालपुरा (2) निवाई (3)
टोंक (4) देवली–उनियारा
- टोंक जिले में पाँच नगरीय निकाय है। टोंक में नगर परिषद है। जिनका विवरण इस प्रकार है –

क्र. सं.	महिला आरक्षित वार्डों की संख्या	नगरीय निकाय	कुल वार्डों की संख्या			
			SC	ST	OBC	GEN
1	टोंक नगर परिषद	60	3	0	4	12
2	देवली नगर पलिका मण्डल	25	2	0	2	4
3	निवाई नगर पलिका मण्डल	35	2	0	2	7
4	टोड़ारायसिंह नगर पलिका मण्डल	25	1	0	2	5
5	मालपुरा नगर पलिका मण्डल	35	2	0	2	7
6	उनियारा नगर पलिका मण्डल	20	1	0	1	4
योग :	200	11	0	13	39	

कुल महिला आरक्षित सीटें – 63

74वां संविधान संशोधन और नगर निकायों में महिला जनप्रतिनिधि

74वें संविधान संशोधन अधिनियम के शीर्षक में यह व्यक्त किया गया है कि यह संशोधन स्थानीय नगरीय संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान करता है और यह संविधान संशोधन अधिनियम भारत सरकार के राजपत्र में जून 1993 को प्रकाशित एवं प्रवर्तित किया गया। इस संविधान संशोधन के माध्यम से प्रत्येक नगरीय निकायों के चुनावों में महिलाओं हेतु स्थानों का आरक्षण अनिवार्य किया गया। इसमें वर्णित प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं हेतु आरक्षित स्थानों सहित प्रत्येक नगरीय संस्था में कम से कम एक–तिहाई स्थानों को महिलाओं हेतु आरक्षित किया और महिला प्रतिनिधित्व को सशक्त करने का यह एक संवैधानिक प्रयास था।

इस प्रकार आरक्षित किए गए स्थानों का आवर्तन बारी–बारी से किया जाता रहा है। सभापति/अध्यक्षों के आरक्षण के संदर्भ में भी इस संविधान संशोधन अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि नगर निकायों की संस्थाओं में अध्यक्षों/सभापति के पद भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिलाओं के लिए, राज्य विधानमण्डल के अधिनियम से प्रक्रिया निर्धारित करते हुए आरक्षित किये जाते हैं।

वर्तमान में नगरीय संस्थाओं में महिलाओं हेतु जो एक–तिहाई आरक्षण की व्यवस्था है वह महिला जनप्रतिनिधि के नेतृत्व एवं नगरीय विकास के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की और अभिप्रेरित पहल है जिससे यह महिलाएँ अपनी नेतृत्वपूर्ण भूमिका को स्थानीय नगरीय संस्थाओं में साबित करने की ओर अग्रसर हो रही है। जिसके फलस्वरूप लोकतंत्र के मूल स्तर पर महिलाओं को राजनीतिक सशक्तीकरण की धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः आगे हम राजनीतिक सशक्तीकरण को विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करें कि यह क्या अवधारणा है? विश्व एवं भारत में इसकी क्या स्थिति है? इसी आधार पर हम 74वें संविधान संशोधन के संदर्भ में महिला प्रतिनिधि की भूमिका को समझने में सफल हो पाएंगे। साथ ही महिला सभापति के नेतृत्वशीलता को भी इसी अध्याय में समझने का प्रयास किया है कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने क्या–क्या उपलब्धियाँ प्राप्त की है और उनके कार्यकाल के समय क्या–क्या चुनौतियाँ उनके समक्ष आयी है।

महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण स्थानीय, समुदाय, राज्य–राष्ट्र एवं वैश्विक स्तर पर शताब्दियों से महिलाओं को द्वितीय श्रेणी का नागरिक समझा जाता रहा है। बाहुबल, बुद्धिबल तथा धनबल के आधार पर महिलाओं को निर्णयन प्रक्रिया में भागीदारी से वंचित रखा गया है। इसके लिए सामाजिक–राजनीतिक –आर्थिक– धामिर्क–सांस्कृतिक आधार पर महिलाओं पर अनेक प्रकार की निर्योग्यताएँ आरोपित की गई। समान नागरिक अधिकारों एवं मानवाधिकारों के समर्थक एवं पुरोधा कहे जाने वाले राष्ट्रों में महिलाओं को लम्बे समय तक मताधिकार तथा चुनाव में प्रतिभागी बनने से वंचित रखा गया। यही कारण है कि राजनीतिक सत्ता के शिखर पर पहुँचने वाली महिलाओं की संख्या आज भी उँगलियों पर गिनने लायक ही है। देशकाल एवं परिस्थितियाँ परिवर्तित होती रही हैं, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में निर्णयन की प्रक्रिया में पुरूषों का ही वर्चस्व रहा है। राजनीतिक सशक्तिकरण समग्र रूप से सशक्तिकरण से आशय ऐसा वातावरण सृजित करने से है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करते हुए अपने जीवन, जीवित रहने तथा स्वयं को विकसित करने के बारे में स्वयं निर्णय ले सके। सशक्तिकरण का अर्थ कतिपय कार्यों को पूरा करने की क्षमता प्राप्त करने तथा कतिपय विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता अर्जित करने में है।

महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के मामले में अब यह वृहत्तर रूप से स्वीकार कर लिया गया है कि महिलाएँ स्वयं को सशक्त बनाएं तथा सशक्त हों। इसका सम्बन्ध व्यक्तिगत सशक्तिकरण (जैसा कि व्यक्तिगत नागरिक सामर्थ्य में वृद्धि) तथा सामूहिक सशक्तिकरण (जैसे कि सशक्त महिलाओं का एक तन्त्र विकसित करने) दोनों से है। राजनीतिक सशक्तिकरण ऐसा वातावरण सृजित करता है, जिसमें महिलाएँ अपनी स्वयं की सोच–समझ, बौद्धिक चातुर्य, क्षमताओं के साथ समाज की बुनियादी समस्याओं के समाधान हेतु पुरूषों के साथ बराबरी के स्तर पर बिना किसी भेदभाव के निर्णय ले सकें।

सैद्धान्तिक रूप से महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के अग्रलिखित प्रांचल हैं–

सार्वभौमिक मताधिकार– प्रत्येक स्तर के विधायी निकाय–पंचायतीराज संस्थाएँ, स्थानीय नगर निकाय, राज्य विधान मण्डल, राष्ट्रीय संसद, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं (जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ) में महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के पुरूषों के समान मतदान करने का अधिकार प्रदान करना।

चुनचुनाव लड़ने का अधिकार– प्रत्येक स्तर के निकाय में जैसे कि पंचायतीराज संस्थाएँ, स्थानीय नगर निकाय, राज्य विधानमण्डल, राष्ट्रीय संसद, अन्तराष्ट्रीय संस्थाओं के चुनावों में स्वतन्त्र रूप से चुनाव लड़ने का अधिकार। सत्ता, प्रशासन एवं न्यायिक प्रणाली में भागीदारी का अधिकार– प्रत्येक स्तर के सत्ता के पायदानों पर विभिन्न पदों पर निर्वाचित होने, चयनित होने तथा नियुक्त होने का अधिकार।

किसी भी देश की राजनीतिक प्रणाली में सैद्धान्तिक रूप से उपर्युक्त सभी अधिकार प्राप्त हो जाने के बावजूद पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था में व्यावहारिक धरातल पर महिलाओं के सशक्तिकरण के स्तर का आंकलन निम्नलिखित प्रांचलों के आधार पर किया जा सकता है–

अपनी सोच और समझ तथा स्वयं के निर्णयानुसार मतदान करने का अधिकार (अर्थात् मतदान करते समय महिलाओं के निर्णय अपने पिता/पति/भाई आदि के निर्देश, जाति/धर्मगत प्राथमिकताओं से प्रभावित न हो) प्रत्येक स्तर के निकाय में विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने तथा चुनाव जीतने की प्रायिकता।

बहुदलीय प्रणाली में राजनीतिक दलों के स्वयं के संगठनों में महिलाओं की बराबरी के स्तर पर भागीदारी। बहुदलीय प्रणाली में विभिन्न स्तर के पदों के निर्वाचन में राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं को उम्मीदवार बनाया जाना। मंत्रिमण्डल में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत। सर्वोच्च पदों– प्रधान, अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक महिलाओं की पहुँच।

उपर्युक्त सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पहलुओं को ही ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन 1995 में "बीजिंग प्लेटफार्म कार्ययोजना सत्ता एवं निर्णयन में महिलाएँ" के अन्तर्गत निम्नलिखित रणनीतिक लक्ष्य निर्धारित किए गए–

1. सत्ता के ढाँचे तथा निर्णयन प्रक्रिया में महिलाओं की पहुँच तथा पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उपाय अपनाना।
2. निर्णयन प्रक्रिया तथा नेतृत्व में भागीदारी हेतु महिलाओं की क्षमताओं में वृद्धि करना।

महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की वैश्विक स्तर पर पहल

महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रारम्भिक बिन्दु विधानमण्डल के निर्वाचन में महिलाओं को सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान करना है। इस दृष्टि से यथार्थवादी पहल तो पश्चिम से ही हुई मानी जाती है, लेकिन भारत के प्राचीनकालीन गणतन्त्रों में भी महिलाओं को मताधिकार प्राप्त होने के उदाहरण मिले हैं। मताधिकार का प्रश्न लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली के अन्तर्गत ही महत्त्वपूर्ण हो जाता

है। राजतन्त्र एवं सामन्तशाही अथवा निरंकुश तन्त्र के अन्तर्गत इसका कोई अर्थ ही नहीं है–

उन्नीसवीं शताब्दी में स्वीडन, फिनलैण्ड तथा संयुक्त राज्य अमेरीका के कुछ पश्चिमी राज्यों में महिलाओं को सीमित मताधिकार प्राप्त हुआ। महिलाओं को मताधिकार प्रदान कराने के लिए सन् 1904 में "दी इण्टरनेशनल वूमेन सफ्रेज एलाइन्स" का गठन हुआ। 1883 में स्व–शासित ब्रिटिश उपनिवेश न्यूजीलैण्ड ने तथा सन् 1895 में स्वशासित ब्रिटिश उपनिवेश आस्ट्रेलिया में वयस्क महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया।

दक्षिण आस्ट्रेलिया में 1894 में महिलाओं को मत देने तथा निर्वाचन में खड़े होने का अधिकार प्राप्त हुआ, लेकिन मूल आदिवासी महिलाओं को मताधिकार 1962 में ही प्राप्त हो सका। यूरोप में 1907 में रूसी साम्राज्य का भाग रहे ग्राण्ड डची ऑफ फिनलैण्ड के संसदीय निर्वाचन में पहली महिला प्रतिनिधि निर्वाचित हुई। नार्वे में सन् 1913, में फ्रांस में सन् 1944 में, इटली में 1946 में, ग्रसी में 1952 में, स्विट्जरलैण्ड में 1971 में, लसिटेन्स्टीन में 1984 में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। संयुक्त राज्य अमरीका में न्यूजर्सी में महिलाओं को सीमित मताधिकार प्राप्त हुआ है। 1920 में संयुक्त राज्य अमरीका में महिलाओं को सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त हुआ।

भारत में मद्रास प्रान्त में 1921 में धनाढ्य एवं शिक्षित महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। अन्य प्रान्तों ने भी इसका अनुसरण किया, लेकिन देशी रियासतों ने महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत् भारत में महिलाओं को मताधिकार तथा चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त हुआ। स्वतन्त्र भारत में सन् 1947 में भारतीय महिलाओं को सार्वभौमिक मताधिकार अधिकार मिला।

विश्व के अधिकांश मुस्लिम देशों में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त है, लेकिन सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रूनेई, वेटिकन सिटी एवं कई देश है, जहाँ महिलाओं को मताधिकार प्राप्त नहीं है। भारत में महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण भारत में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की जड़ें सल्तनतकाल में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली रजिया सुल्तान, होल्कर साम्राज्य की शासक अहिल्याबाई होल्कर, कलकत्ता की रानी रश्मिदेवी, झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई, कितूर की रानी चेन्नम्मा, गोंडवाना की रानी दुर्गावती, रायगढ़ की रानी अवन्तीबाई के साहस एवं वीरता, प्रशासनिक क्षमताओं में समाई हुई है, वहीं स्वतन्त्रता संग्राम आन्दोलन में बेगम हजरत महल, अरूणा आसफ अली, रानी गाइडिन्लू, एन्नी बेसेन्ट, प्रतिलता वाददेर, सरोजनी नायडू, कु. लक्ष्मीपति, मीरा बहन, नीलि सेन गुप्ता, भीकाजी कामा, सुचेता कृपलानी, कस्तूरबा गांधी आदि महिलाओं ने भारत की महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता लाने का कार्य किया।

स्वातंत्र्योत्तर भारत में विजयलक्ष्मी पंडित 1953 में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनीं, भारत की सामाजिक व्यवस्था में इन्दिरा गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में शासन एवं प्रशासन के जो कीर्तिमान स्थापित किए वे चिरस्मरणीय हैं, कालान्तर में नन्दिनी सत्पथी (ओडिशा), जेजयललिता (तमिलनाडु), शशीकला काकादेकर (गोवा), सुचेता कृपलानी (उत्तर प्रदेश), सैयदा अनवरा तैमूर (असम), उमा भारती (मध्य प्रदेश), मायावती (उत्तर प्रदेश), शीला दीक्षित (दिल्ली), वसुन्धरा राजे (राजस्थान) राबड़ी देवी (बिहार) तथा ममता बनर्जी (पश्चिम बंगाल) ने अपनी प्रशासनिक क्षमताओं से महिला सशक्तिकरण को एक नई दिशा दी है। प्रतिभादेवी सिंह पाटिल ने राष्ट्रपति पद की गरिमा को बढ़ाया है, तो सोनिया गांधी ने कांग्रेस को अध्यक्ष के रूप में केन्द्र सरकार के संचालन में प्रमुख भूमिका निभाई है। मीरा कुमार ने अपनी क्षमताओं से लोकसभा के स्पीकर के पद की गरिमा को नई ऊँचाइयाँ प्रदान की हैं, तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में सुषमा स्वराज ने अनेक बार सरकार को कटघरे में खड़ा किया है।

भारतीय संविधान में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का शुभारम्भ तो मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत प्रदत्त विधि के समक्ष समता (अनुच्छेद 14), धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान पर विभेद का प्रतिषेध (अनुच्छेद 15), लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता (अनुच्छेद 16), वाक्–स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति–स्वातंत्र्य का अधिकार, शान्तिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, संगठन या संघ बनाने का अधिकार, भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार तथा कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार (अनुच्छेद 19), मानव के दुर्व्यापार और बलातश्रम का प्रतिषेध के द्वारा संविधान लागू होने के साथ ही हो गया, लेकिन व्यावहारिक धरातल पर संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन से महिलाओं को क्रमशः पंचायतीराज संस्थाओं एवं स्थानीय नगर निकायों में प्रत्येक स्तर के पदों पर एक–तिहाई स्थानों के आरक्षण के साथ राजनीतिक सशक्तिकरण का एक सुदृढ़ आधार प्राप्त हुआ।

नगरीय विकास में महिला जनप्रतिनिधियों की सहभागिता एवं भूमिका का अनुभवमूलक अध्ययन

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु कुल निदर्शन संख्या 100 निर्धारित गई है। शोध अध्ययन हेतु तीन लक्षित समूहों को चयनित किया गया है–

क्र.सं.	विवरण	विशेष	कुल
1.	महिला जन प्रतिनिधि	वर्तमान	19
		पूर्व	11
2.	कुल		40
3.	आमजन	सरकारी कर्मचारी	10
		व्यापारी	10
		जनप्रतिनिधि	10
		राजनीतिक दल	10
		आजाद मित्र	10
		गृहणी	10
कुल :			60

प्रस्तुत शोध अध्ययन में टोंक जिले के विशेष संदर्भ में स्थानीय नगरीय निकाय में महिला जनप्रतिनिधि की सामाजिक पृष्ठभूमि अध्ययन हेतु तथ्य संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। अतः साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से प्राप्त प्राथमिक सूचनाओं को एकत्र कर तथ्यों को सुव्यवस्थित करके उनको सारणीबद्ध कर उनका व्यवस्थित विश्लेषण एवं व्याख्या करने का प्रयास शोधार्थी द्वारा किया गया है।

तालिका 1: क्या आपके अनुसार 74वें संविधान संशोधन के पश्चात् नगरपरिषद् की कार्यप्रणाली में कोई बदलाव आया है ?

विकल्प	उत्तरदाता	प्रतिशत
हाँ	48	80
नहीं	12	20
कुल	60	100

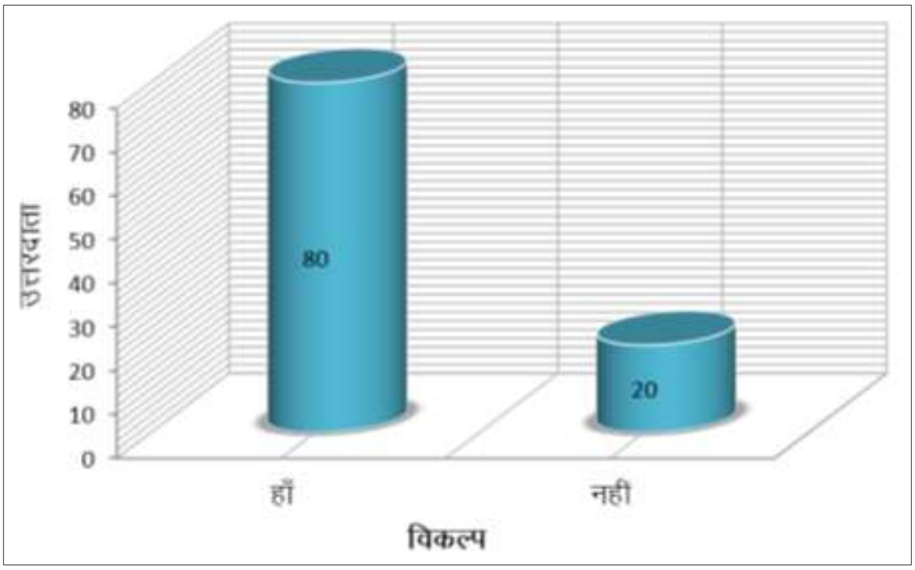

चित्र 1: 74वें संशोधन पश्चात् नगर परिषद् की कार्यप्रणाली में बदलाव संबंधी

80 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार 74वें संशोधन के पश्चात् नगर परिषद् की कार्यप्रणाली में बदलाव किसी भी तरह का बदलाव नहीं लगा।

तालिका 2:. क्या नगरीय विकास हेतु आपके द्वारा जो सुझाव जनप्रतिनिधियों को दिये गये उन सुझावों को प्रतिनिधियों द्वारा पर्याप्त महत्त्व दिया जाता है?

विकल्प	उत्तरदाता	प्रतिशत
हाँ	39	65
नहीं	21	35
कुल	**60**	**100**

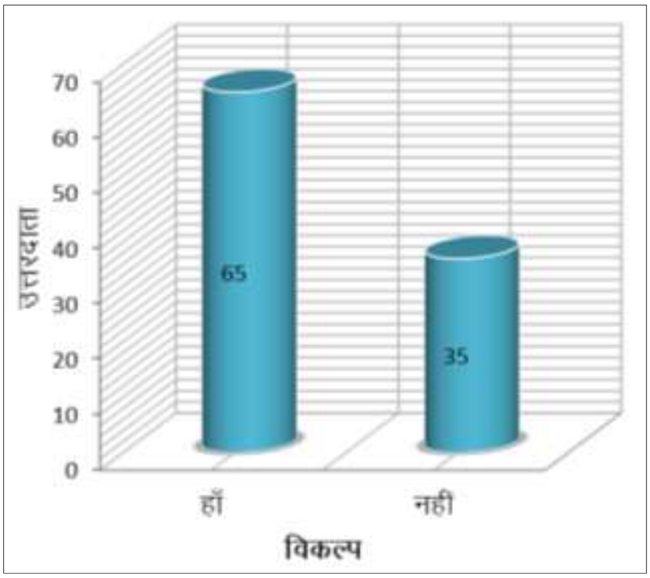

चित्र 2: प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दिये गये सुझावों को प्रतिनिधियों द्वारा पर्याप्त महत्त्व देने संबंधी

65 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है कि वे नगरीय विकास हेतु जो सुझाव प्रतिनिधियों को दिये गये उनके सुझावों को पर्याप्त महत्त्व दिया गया और उन्होंने अपने वार्ड क्षेत्र विकास में उन्हें क्रियान्वित भी किया है, जबकि 35 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके सुझावों पर प्रतिनिधि कोई प्रतिक्रिया नहीं देते है।

तालिका 3: आपकी राय में क्या महिला सभापति पुरूष सभापति की तुलना में स्वयं निर्णय लेने में सक्षम रहती हैं?

विकल्प	उत्तरदाता	प्रतिशत
हाँ	36	60
नहीं	09	15
पता नहीं	15	25
कुल	60	100

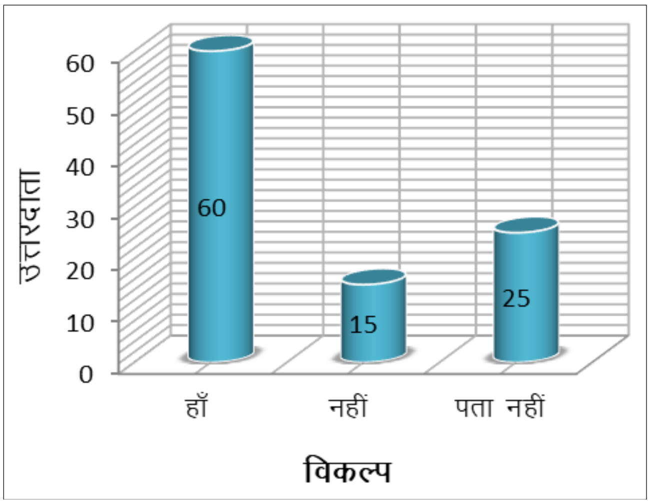

चित्र 3: महिला सभापति स्वः निर्णय लेने संबंधी

60 प्रतिशत उत्तरदाता ने स्वीकार किया कि महिला सभापति भी पुरूष सभापति की भाँति स्वः निर्णय लेने में सक्षम हैं 25 प्रतिशत उत्तरदाता ने इस विषय पर पता नहीं कहा है, वहीं 15 प्रतिशत के अनुसार महिला सभापति स्वनिर्णय नहीं ले पाती है।

तालिका 4: नगर परिषद् की बैठकों समस्याओं संबंधी मुद्दे स्वयं उठाती है।

विकल्प	उत्तरदाता	प्रतिशत
हाँ	33	55
नहीं	21	35
पता नहीं	06	10
कुल	60	100

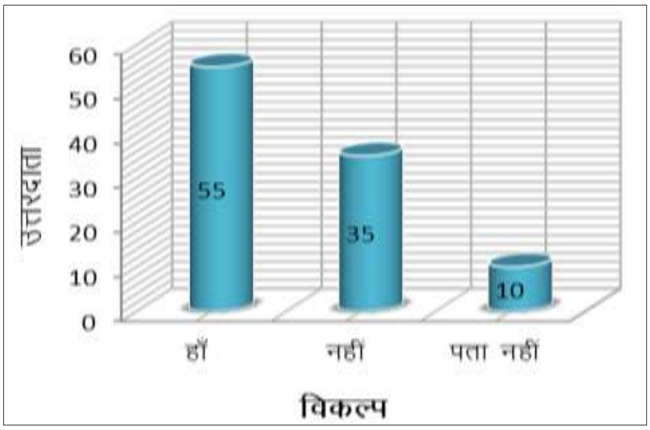

चित्र 4: परिषद् बैठकों में महिला प्रतिनिधि द्वारा मुद्दे उठाने संबंधी

55 प्रतिशत उत्तरदाता का जवाब हाँ है कि वह बैठकों में मुद्दे उठाती है। 35 प्रतिशत का उत्तर ना है जबकि 10 व्यक्त न करते हुए कहा कि "पता नही" है।

तालिका 5: आपके मत में महिला जनप्रतिनिधि अपने वार्ड क्षेत्र की समस्याओं के समाधान हेतु सतत् रूप से प्रयास करती है?

विकल्प	उत्तरदाता	प्रतिशत
हाँ	30	50
नहीं	12	20
पता नहीं	18	30
कुल	60	100

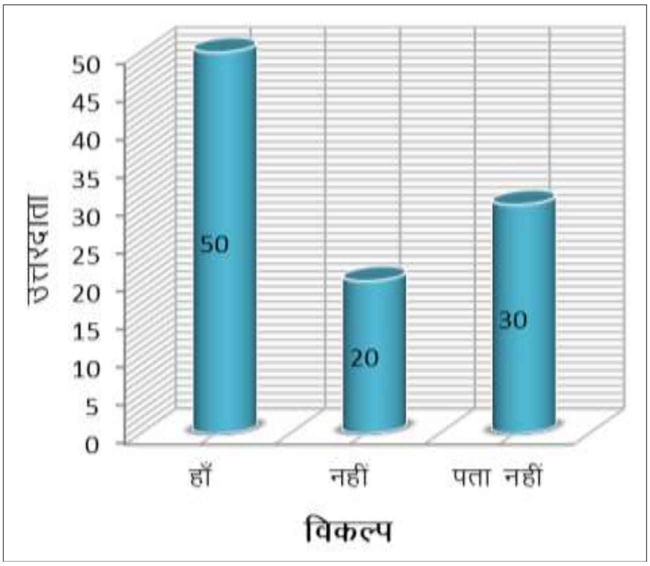

चित्र 5: वार्ड क्षेत्र की समस्या समाधान हेतु महिला प्रतिनिधि की सतत् प्रयास करने संबंधी

50 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि महिला प्रतिनिधि अपने वार्ड की समस्या समाधान हेतु सतत् रूप से प्रयास करती है। 20 प्रतिशत के अनुसार का उत्तर ना है जबकि 30 प्रतिशत ने "पता नहीं" कहते हुए इस विषय पर कोई विचार अभिव्यक्त नहीं किये।

तालिका 6: क्या महिला जनप्रतिनिधियों प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा करायी जाती है

विकल्प	उत्तरदाता	प्रतिशत
हाँ	24	40
नहीं	18	30
पता नहीं	18	30
कुल	60	100

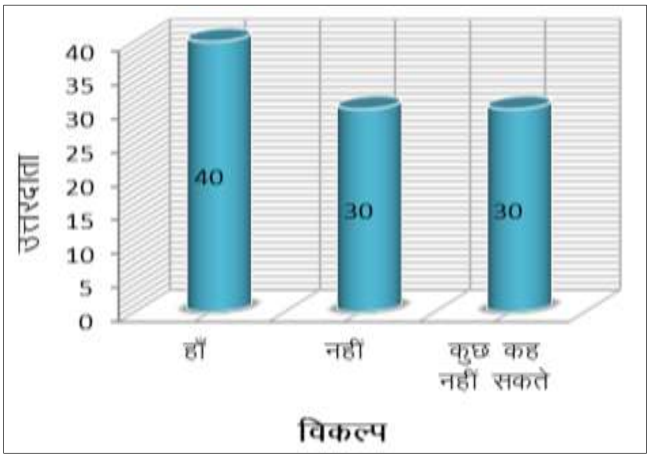

चित्र 6: महिला प्रतिनिधि द्वारा अपने कार्यों की अधिकारियों द्वारा औपचारिकता पूर्ण करने संबंधी

40 प्रतिशत का उत्तर हाँ है जबकि 30 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार महिला प्रतिनिधि ऐसा नहीं करती है वह अपने कार्य स्वयं अधिकारियों के द्वारा करती है। 30 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस विषय पर कोई राय व्यक्त नहीं की।

तालिका 7: आपके मत में 74वाँ संविधान संशोधन अस्तित्व में आने के पश्चात् महिलाओं का राजनीतिक सशक्तीकरण हुआ है

विकल्प	उत्तरदाता	प्रतिशत
हाँ	51	85
नहीं	09	15
कुल	60	100

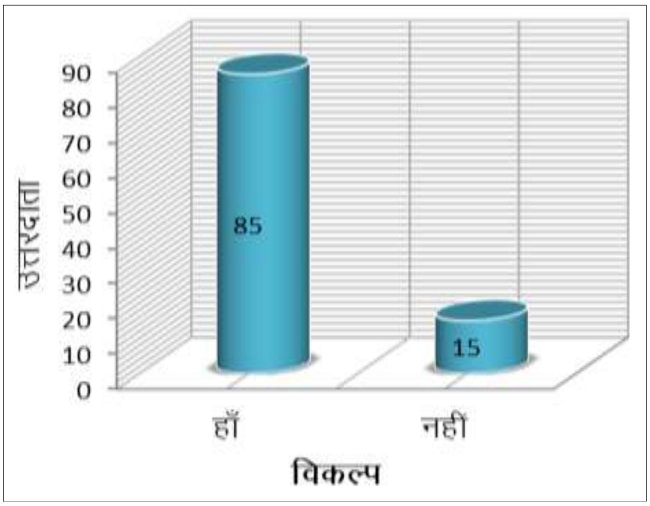

चित्र 7: 74वें संविधान संशोधन के पश्चात् महिला राजनीतिक सशक्तीकरण संबंधी

85 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि 74वाँ संविधान संशोधन अस्तित्व में आने के पश्चात् महिलाओं का राजनीतिक सशक्तीकरण हुआ है। केवल 15 प्रतिशत उत्तरदाता ही ऐसे हैं जो ऐसा नहीं मानते।

तालिका 8: क्या महिलाएँ अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक हुई है? आपकी राय में

विकल्प	उत्तरदाता	प्रतिशत
हाँ	45	75
नहीं	06	10
पता नहीं	09	15
कुल	60	100

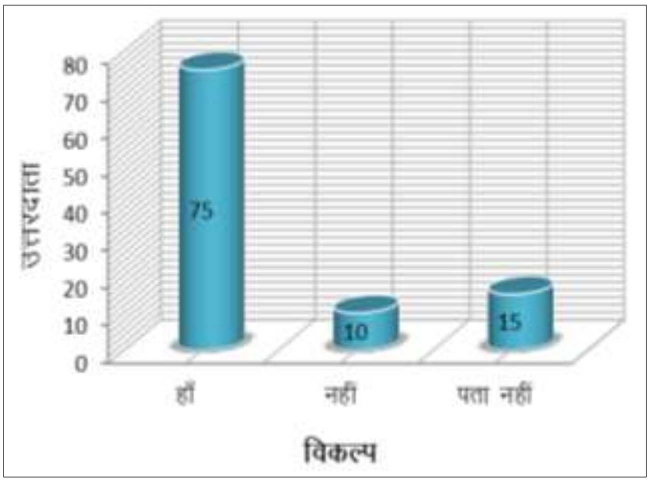

चित्र 8: महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता संबंधी

75 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि महिलाएँ अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक हुई है। 10 प्रतिशत की राय में ऐसा नहीं हुआ है। 15 प्रतिशत उत्तरदाता इस विषय पर अपना कोई अभिमत नहीं रखते।

तालिका 9: क्या महिला सभापति अपने नेतृत्व से सम्पूर्ण (समन्वय) स्थापित करने में सक्षम है

विकल्प	उत्तरदाता	प्रतिशत
हाँ	39	65
नहीं	15	25
कह नहीं सकते	06	10
कुल	60	100

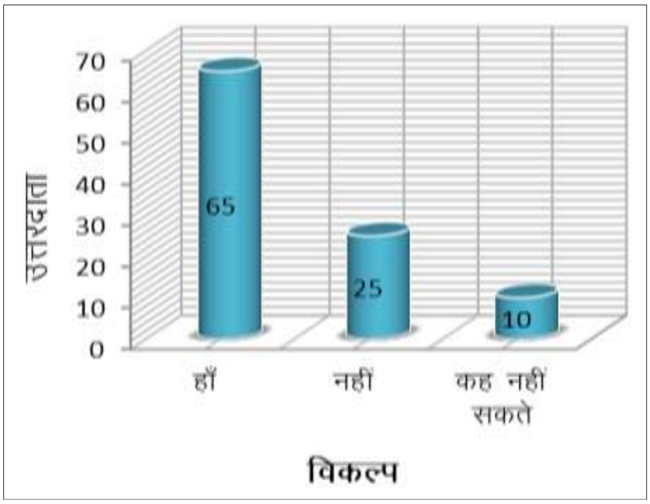

चित्र 9: महिला सभापति द्वारा नगर परिषद् में समन्वय स्थापित करने संबंधी

65 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार महिला सभापति अपनी नेतृत्वशीलता से सम्पूर्ण नगर परिषद् की कार्यवाही में समन्वय स्थापित करने में सक्षम है। 25 प्रतिशत के अनुसार वह समन्वय स्थापित नहीं कर सकी। वहीं 20 प्रतिशत ने इस विषय पर कोई अभिमत न देते हुए कहा कि वे कुछ कह नहीं सकते।

निष्कर्ष

राजनीतिक जनप्रतिनिधि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि किसी समाज विशेष में शासन की प्रक्रिया को प्रभावित करके ओर इनमें प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का विधि सम्मत अधिकार रखता है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जन आधारित सम्प्रभु शक्ति राजनीतिक प्रतिनिधियों के माध्यम से ही व्यावहारिकता प्राप्त करती है और इसी शक्ति से युक्त व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्थाओं में सरकार का गठन कर निश्चित अवधि तक शासन के संचालक बन जाते हैं।
नगरीय निकायों का आधुनिक स्वरूप ब्रिटिशकाल की देन है और स्वतंत्रता के पश्चात् से ही यह स्वरूप निरन्तर रूप से चला आ रहा है। इसे 74वें संविधान संशोधन के तहत् त्रिस्तरीय नगरपालिका, नगरपरिषद् व नगर निगम का स्वरूप प्रदान कर संवैधानिक निकाय का दर्जा प्रदान कर दिया गया।
महिला दशक की समाप्ति के बाद तथा 21वीं सदी के प्रारंभ के साथ ही भारत में राजनीतिक जीवन में महिला सहभागिता पर जोर दिया जाने की दिशा में 74वां संविधान एक महत्त्वपूर्ण कदम था जो महिलाओं को राजनीतिक सशक्तिकरण की धारा से जोड़ने की दिशा में किया गया सराहनीय प्रयास
था। अतः इस संशोधन के अनुपालना में निश्चित प्रावधान किये गये जो राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करती है। इन नगरीय निकायों में प्राप्त 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होने के पश्चात् महिला जनप्रतिनिधि अपनी नेतृत्व क्षमता के माध्यम से नगरीय विकास में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

सन्दर्भ सूची

1. अग्रवाल गीता, ''चुनाव और महिला सहभागिता'' राज्य शास्त्र समीक्षा मेंलेख राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, 2001।
2. अलमण्ड, वर्बा सिडनी, ''द सिविक कल्वर प्रिन्सटॉन'' प्रिन्सटॉन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1963। 3एन्थोनी एम. ओरम, इन्ट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, प्रैस्टिस हॉल, आई एन सी. एन्जल वुड क्लिक्स न्यू जर्सी, 1978।
3. आल्तेकर ए. एस., दि पोजीशन ऑफ वीमेन इन हिन्दू सिविलाईजेशन, मोतीलाल बनारसी दास, नई दिल्ली, 1959।
4. अरूणा आसफ, वूमेन्स सफरेज इन इण्डिया, श्याम कुमारी नेहरू, 2000।
5. अंसारी एम. एन. ''महिला और मानवाधिकार'' ज्योति प्रकाशन, जयपुर 2000
6. अनिरूद्ध प्रसाद ''आरक्षण सामाजिक न्याय एवं राजनीतिक संतुलन, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1991।
7. एस्टर वोसरप, वोमन्स रोल इन इकॉनोमिक डवलपमेन्ट न्यूयार्क, सेन्ट मार्टिन्स, 1970।
8. अप्टे जे. एस., एजूकेशन एण्ड वीमेन्स एम्पॉवरमैन्ट, इण्डियन जर्नल और एडल्ट एजूकेशन, वोल्यूम 56, 3 जुलाई, सितम्बर, 1995।